# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 42/2019 जिला–सीकर।

1. हजारी लाल पुत्र नाथूराम।
2. बहादुर मल पुत्र नाथूराम।
3. राजू उर्फ राजेन्द्र प्रसाद पुत्र नाथूराम।
4. रोशन पुत्र नाथूराम।
5. शीशराम पुत्र नाथूराम।
6. लादो पुत्री नाथूराम।
7. नाथी पत्नी नाथूराम।

समस्त जाति गुर्जर, निवासी वार्ड नं. 21, छावनी, नीमकाथाना, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

**अपीलान्टस्**

**बनाम**

1. शंकरलाल पुत्र रामचन्द्र जाति गुर्जर, निवासी वार्ड नं. 22 छावनी, नीमकाथाना, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
2. रामजीलाल पुत्र भग्गुराम जाति गुर्जर निवासी वार्ड नं. 21 छावनी, नीमकाथाना, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

**रेस्पोंडेन्ट्स**

**अपील विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर दिनांक 09.09.2019 अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75**

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्यामबाबू पारिक।
2. वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 श्री रमेश कुमार सैनी।

## निर्णय

दिनांक 10.03.2021

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकरके निर्णय दिनांक 09.09.2019 के खिलाफ दिनांक 30.09.2019 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है किरेस्पोडेन्ट संख्या 1 शंकरलाल द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बाबत कराये जाने पत्थरगढी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया कि उनकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर687, 688, 689 तन ग्राम चला की ढाणी, ग्राम पंचायत मंढोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में स्थित है। प्रार्थी के दक्षिण में अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 686 है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 13.06.2017 को तहसीलदार नीमकाथाना के आदेशानुसार कर दिया गया है। सीमाज्ञान किये जाने के बाद अप्रार्थीगण ने मौके पर सीमाविवाद पैदा कर दिया है। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की भूमि पर पूर्व पश्चिम, उत्तर साईड में डण्डा लगा रखा है एवं अप्रार्थीगण द्वारा सीमा विवाद पैदा कर देने के कारण प्रार्थी दक्षिण साईड में अपनी भूमि के डण्डा नही लगा सका। अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी की कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा करने की योजना में है। दिनांक 14.07.2017 को अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि में बाजरे की खडी फसल को नष्ट करने की कोशिश की एवं पत्थरगढी नही होने देने की धमकी दी गई। अतः सीमाज्ञान दिनांक13.06.2017 के आधार पर भूमि की दक्षिण साईड की पत्थरगढी कराये जाने की आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा विवादित भूमि का तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर से पुनः सीमाज्ञान करवाया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.09.2019 पारित किया कि

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner

"सीमाज्ञान रिपोर्ट 19.04.2018 के अनुसार ग्राम चला की ढाणी के खसरा नम्बर 687, 688, 689 की पत्थरगढी उभयपक्ष की मौजूदगी में कराया जावे।"

4. न्यायायल उपखण्ड अधिकारी नीमकाथानाजिला सीकर के उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टस् द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने एवं विवादित भूमि खसरा नम्बर 687, 688, 686 एवं उत्तरी और 543 की भी सीमाज्ञान किये जाने की प्रार्थना की।

5. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से कोई उपस्थित नही। अधिवक्ता अपीलांट्स एवं अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है वे 13.06.2017 व 19.04.2018 की है। दिनांक 13.06.2017 की रिपोर्ट पर अपीलांटस ने आपत्ति की जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.03.2018 को स्वीकार किया व अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः तहसीलदार नीमकाथाना को सीमाज्ञान का आदेश दिया गया । लेकिन तहसीलदार मौके पर नही गये व बिना तहसीलदार मौके पर गये प्रस्तुत तथाकथित रिपोर्ट 19.04.2018 को अधीनस्थ न्यायालय ने सही मानकर निर्णय देने में गंभीर भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट गलत व मौके के विपरीत थी। ऐसी स्थिति में अपीलांटस ने पुनः अपनी आपत्ति की व उसमें जो 4 खसरा नम्बर के मध्य सीमा कायम किया है वह नियमो के तहत नही हो सकता है। यही नही जो नाप की जाती है वह प्रथमतः गांव के मुस्तकिल पॉईन्ट जो गांव के पत्थर से ही नपती हो सकती है या रिकार्ड में कोई कुआं हो तो मुस्तकित पाइन्ट मानकर की जा सकती है जबकि चौमेडा नक्शे के अनुसार 4 खेतो के बीच का कोई मुस्तकित पाइन्ट नही हो सकता है। यहां यह भी स्पष्ट करना उचित होगा कि पुनः जो रिपोर्ट आई उसमें खसरा नम्बर 544, 687, 680, 689 की स्थिति जो बताई है उसमें 68, 98, 120 मीटर अंकित की गई हैं जबकी जरीब में कडिया होती है व चैन होती है। प्रकरण में पटवारी हल्का ने कोई नोटिस नही दिया व पूर्व की तरह बिना प्रार्थी को मौके पर बुलाये ही निर्णय प्रदान किया है। रेस्पोडेंट द्वारा तथाकथित डंडा बनाया है वह अपनी मनमर्जी से बनाया है एवं अपनी भूमि उसने उत्तरी और ही दबी हुई होना अंकित किया है। अपीलांटस के खेत जो रेस्पोडेंट के खेत के दक्षिण में है करीब 6 फुट ऊंची मिट्टी की डोल है जो बुजुर्गो के समय से बनी है एवं अपीलांटस की भूमि रेस्पोडेंट की भूमि से 7–8 फुट नीची है। रेस्पोडेंट ने भूमि करीब 5 वर्ष पूर्व क्रय की है जबकि जो डोल बनी है वह करीब 50 वर्ष पुरानी है यदि भूमि रेस्पोडेंट नं0 1 के पूर्वाधिकारियो की है तो उनके द्वारा कभी कोई आपत्ति नही की है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र रेस्पोडेंट नं0 1 को लाभांवित करने की गर्ज से निर्णय प्रदान किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय के सहज एव प्राकृतिक नियमो के प्रतीकुल होने से निरस्तनीय है।अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किया जावे एवं विवादित भूमि खसरा नम्बर 687, 688, 689, 686एवं उत्तरी और 543 की भी सीमाज्ञान की जावे।अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गयेः— RRT 2017 (2) 1084।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील के तथ्यो का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट विवादित भूमि आराजी खसरा नं. 687, 688, 689 तन ग्राम चला की ढाणी, ग्राम पंचायत मंढोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकरका खातेदार है और अपने खातेदारी भूमि का सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढी कराने के विधिक अधिकारी हैं। अपीलान्ट्स विवादित भूमि के खातेदार नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर अपीलाधीन आदेश पारित कर विवादित आराजी की

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

पत्थरगढी तहसीलदार नीमकाथाना की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 19.04.2018 के आधार पर कराई जाने हेतु तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर को आदेश प्रदान किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत है एवं अपील अपीलांटस सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्टस खारिज की जावे ।

8. मैंने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के पत्थरगढी कराने के संबंध मे विवाद है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 687, 688, 689 तन ग्राम चला की ढाणी का सीमाज्ञान तहसीलदार नीमकाथाना के आदेश क्रमांक 3354–55 दिनांक 08.06.2017 की पालना में पटवारी हल्का मंढोली के द्वारा दिनांक 13.06.2017 को किये जाने के पश्चात उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढी कराने बाबत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट के उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में पटवारी हल्का मंढाली द्वारा दिनांक 13.06.2017 को की गई सीमाज्ञान रिपोर्ट पर पक्षकारान के हस्ताक्षर नही होने एव ना ही कोई लम्बाई चौडाई अंकित होने से विवादित भूमि का तहसीलदार नीमकाथाना से पुनः सीमाज्ञान करवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा विवादित भूमि की पुनः सीमाज्ञान दिनांक 19.04.2018 को करवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। तहसीलदार नीमकाथाना के आदेश पर पटवारी हल्का द्वारा जिस भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 13.06.2017 एवं पुनः सीमाज्ञान दिनांक 19.04.2018 को किया गया था वह अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि नहीं है तथा रेस्पोंडेन्ट्स की प्रश्नगत भूमि का सीमाज्ञान किया गया था।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम समझते हैं कि प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट्स की प्रश्नगत भूमि का पुनः सीमाज्ञान दिनांक 19.04.2018 को होने के पश्चात रेस्पोंडेन्ट्स के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.09.2019 पारित कर तहसीलदार की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 19.04.2018 के अनुसार ग्राम चला की ढाणी के खसरा नम्बर 687, 688, 689 की पत्थरगढी उभयपक्ष की मौजूदगी में कराने हेतु तहसीलदार, नीमकाथाना को आदेश प्रदान किये है जो उचित एवं विधिसम्यक है तथा अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट्स् सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

10. अतः परिणामतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.09.2019 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

(सेवा राम स्वामी)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

11. निर्णय आज दिनांक 10.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सेवा राम स्वामी)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner